न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/147/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/450

अपीलार्थी — **बनाम** — **प्रत्यर्थी**

श्री किरोड़ीमल गुप्ता,
सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड–प्रथम,
निवास–मकान नं0 258, एन.ई.बी. सुभाष नगर,
निरंकारी भवन के पास, अलवर–301001

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय), अलवर

प्रवेश तिथि :: 13.10.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 01.11.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने सूचना आवेदन–पत्र दिनांकः 23.08.2022 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी के नियंत्रणाधीन कोषाधिकारी, अलवर द्वारा किए गए रिवाईज पेंशन भुगतान के संबंध के अभिलेखीय प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. अपीलार्थी के आक्षेप/कथनानुसार प्रत्यर्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में विहित समयावधि में अपीलार्थी को किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने अथवा किसी प्रकार के विनिश्चय से अवगत नहीं कराये जाने के कारण पत्र दिनांकः 04.10..22 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील संस्थित कराई गई है।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया। प्रत्यर्थी की ओर से पत्र सं. 2493 दिनांकः 28.10.22 के माध्यम से जवाब प्रस्तुत करते हुए (मय संलग्नक) प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है।
6. अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांकः 23.08.2022, प्रथम अपील दिनांकः 04.10.2022 एवं प्रत्यर्थी की ओर से प्राप्त जवाब नोटिस का परीक्षण किया गया।
7. प्रत्यर्थी द्वारा सूचना आवेदन में वांछित सूचना के संबंध में इस लोक प्राधिकरण अंतर्गत प्रत्यर्थी के नियंत्रणाधीन कोषाधिकारी, अलवर से सूचना प्राप्त कर पत्र सं. 2439 दिनांकः 18.10.22 के माध्यम से अपीलार्थी को प्रश्नगत सूचना प्रेषित की जा चुकी है किन्तु सूचना आवेदन दिनांकः 23.08.2022 के परिप्रेक्ष्य में पत्र दिनांकः 18.10.2022 के माध्यम से सूचना प्रेषित किया जाना, सूचना आवेदन को विलम्बित किया जाना प्रतीत होता है, भविष्य में अधिनियम में वर्णित प्रावधानानुसार अविलम्ब सूचना प्रेषण की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
8. तथापि प्रत्यर्थी द्वारा, अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना प्रेषित कर दिए जाने के कारण **अपील खारिज की जाकर निस्तारित** की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. आज दिनांकः 01.11.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)